

आवेदन-पत्र

फोटो आवेदक /
आवेदकगण

1. आवेदन का विवरण

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

वर्तमान पता.....

स्थायी पता.....

दूरभाष.....

ई-मेल.....

पैन कार्ड नम्बर..... आधार संख्या.....

आवेदक कम्पनी/स्थायी होने की स्थिति में उपरोक्त में अधिकृत व्यक्ति का विवरण तथा निम्न कम्पनी का विवरण भरें-

कम्पनी का नाम.....

प्रबन्धक निदेशक का नाम.....

कम्पनी का पंजीकृत.....

स्थायी पता.....

दूरभाष.....

ई-मेल.....

पैन कार्ड नम्बर..... आधार संख्या.....

एक ही भूमि का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होने पर सभी भू-स्वामियों का विवरण दें। नाम एवं पते की सत्यापन हेतु आधार कार्ड/पासपोर्ट कॉपी/राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक में से कोई एक अभिलेख संलग्न करें।

आवेदक के बैंक अकाउंट का विवरण

खाता संख्या.....

बैंक नाम.....

बैंक ब्रांच.....

आई.एफ.सी.कोड.....

(भू-स्वामी एक से अधिक होने की स्थिति में सभी भू-स्वामियों के बैंक अकाउंट पृथक-पृथक विवरण दें)

2. भूमि का विवरण

स्थान.....

गांव का नाम.....

खसरा नं०.....

गाटा नं०.....

तहसील.....परगना.....जिला.....

क्षेत्रफल.....

एकड़.....वर्ग मीटर.....

भूमि की चौहद्दी.....

पूरव.....

पश्चिम.....

उत्तर.....

दक्षिण.....

जिला.....

महायोजना में भू-उपयोग.....

वर्तमान सर्किल रेट.....

अपेक्षित / प्रस्तावित मूल्य.....

क्या भूमि के विक्रय मूल्य का भुगतान किश्तों में स्वीकार होगा- हाँ / नहीं

तहसील द्वारा जारी शजरा प्लान पर भूमि स्थल को दर्शाकर (Super Impose) संलग्न करें।

भूमि का अन्य विवरण

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई.....तहसील स्थल द्वारा जारी शजरा प्लान पर दर्शा कर (Super Impose) संलग्न करें।

2. भूमि पर वर्तमान में वृक्ष का विवरण -

.....
.....
.....

3. भूमि पर फसल का विवरण-

.....
.....
.....

4. भूमि पर ट्यूबवेल / कुआँ / नलकूप का विवरण

.....
.....
.....
.....
.....

(तहसील द्वारा जारी शजरा प्लान पर दर्शा कर (Super Impose) संलग्न करें)

5. निकटतम आबादी का विवरण—

.....
.....
.....

(तहसील द्वारा जारी शजरा प्लान पर दर्शा कर (Super Impose) संलग्न करें)

6. वर्तमान में विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि किस उपयोग में प्रयोग की जा रही है—

.....
.....
.....

7. वर्तमान में भूमि पर काबिज व्यक्ति / व्यक्तियों / संस्था / कंपनी का विवरण—

.....
.....
.....

8. भूमि पर वर्तमान में अधिभार / कर्ज इत्यादि का विवरण (कर्ज देने वाले बैंक आदि के विवरण सहित)—

.....
.....
.....

9. निकटतम हवाई पट्टी से दूरी—

.....

10. निकटतम रेलवे लाइन से दूरी—

.....

11. भूमि या भूमि के नजदीक उपलब्ध अन्य सुविधाओं का विवरण—

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

12. भूमि का अन्य विवरण-

.....

.....

.....

.....

.....

फोटो- आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

शर्तें

1. यदि कृषि भूमि परन्तु अलीगढ़ महायोजना में आवासीय भू-उपयोग है तो सत्यापित उद्धरण खतौनी तथा विक्रय प्रपत्र अथवा सत्यापित विक्रय पत्र संलग्न करें, तीस साल तलाश प्रमाण-पत्र संलग्न करें ।
2. भूमि पर स्वामित्व संबंधी कोई विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा ।
3. भूमि पर भविष्य में यदि स्वामित्व संबंधी कोई विवाद होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी । इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।
4. भूमि पर आवेदक का शान्ति पूर्ण कब्जा है एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा भूमि के विक्रय आदि के सम्बन्ध में न्यायालय का कोई स्टैट नहीं है इस आशय का शपथ पत्र देना होगा ।
5. भूमि पर कोई भविष्य में यदि कब्जा संबंधी कोई विवाद होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी । इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।
6. भूमि पर वर्तमान पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारत होने पर आवेदक स्वीकार नहीं किया जायेगा, भूमि पर कोई संरक्षित इमारत नहीं है इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।
7. भूमि में सरकारी रास्ता व चक रोड होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा भूमि में सरकारी भूमि/रास्ता व चक रोड इत्यादि नहीं है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र देना होगा ।
8. अलीगढ़ महायोजना 2021 में वर्तमान आवासीय भू-उपयोग की भूमि के लिए ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे ।
9. भूमि किसी भी प्रकार की अवाप्ति होने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।
10. भूमि नजूल की भूमि होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा ।
11. भूमि में कोई भी नदी, नाला, तलाव, पोखर, जोहड, कबरिस्तान, शवदाह गृह, चारा गृह इत्यादि नहीं हैं । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित एस.डी.एम. से प्राप्त कर प्रमाण-पत्र देना होगा ।
12. भूमि पर वर्तमान में यदि कोई अधिभार/कर्ज है तो आवेदन की अंतिम तिथि से 15 दिवस के अंदर अधिभार/कर्ज मुक्त करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।
13. भूमि का स्वामित्व किसी संस्था/कम्पनी का है तो संस्था/कम्पनी द्वारा आवेदक को आवेदन करने हेतु अधिकृत करने होने को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
14. सम्पूर्ण भूमि का आवेदक/आवेदकों के नाम स्वामित्व होना आवश्यक है अन्य भूमि स्वामी के आवेदन में सम्मिलित होने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

15. यदि भूमि नगर निगम की सीमा में है तो किसी भी प्रकार की देयता को आवेदक से आवेदन की तिथि से 7 दिवस के अंदर अदा करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
16. आवेदन स्वीकार होने की स्थिति में सम्पूर्ण क्रय मूल्य आवेदन के वर्णित बैंक खाते में डिजिटल प्रक्रिया द्वारा ही जमा किया जाएगा।
17. आवेदन स्वीकार होने की स्थिति में विक्रेता द्वारा प्राधिकरण द्वारा नियत तिथि पर बैनामा निष्पादित करना होगा तथा कब्जा देना होगा। ऐसा ना होने की स्थिति में आवेदन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
18. भूमि निरन्तरता में होनी चाहिए अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं होगा।